कार्यालय संयुक्त निदेशक फा0स0 मुख्यालय लखनऊ।

पत्रांकःआर-100/जे0डी0/जीबीएन-15(गा0बाद)/ 673 दिनांकः दिसम्बर 17 2015

सेवा मे,

अधिशासी अभियन्ता जोन-8,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

विषयः **प्लाट न0-जी0एच0-05ए0 एवं जी0एच0-05बी पाकेट-डी लौनी जिला गाजियाबाद मे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा समाजवादी योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित इन्द्रप्रस्थ आवासीय भवन की प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।**

यूआईडी 2015/16121/जीजैडबी/गाजियाबाद/1028/जेडी

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्याः 318/04ई0ई0 (जोन-8)/2015 दिनांकः 06-11-2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से प्रश्नगत आवासीय भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रो का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी हिण्डन गाजियाबाद द्वारा कर अपनी आख्या दिनांक 08-12-2015 मुख्य अग्निशमन-अधिकारी गाजियाबाद को प्रेषित की गई जिसका उनके द्वारा आख्या का परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या दिनांकः 09-12-2015 उप निदेशक, फायर सर्विस मेरठ के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराई जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण किया गया प्रस्तावित भवन का विवरण निम्नवत है:-

**भवन की संरचनाः-**

1-कुल प्लाट एरिया-23,758.00 वर्ग मी0 है।

| कमांक | नाम ब्लाक | तलों की संख्या | भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0 | कुल कवर्ड एरिया | ऊँचाई मी0 मे |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ब्लाक-ए0 | स्टिल्ट एवं 13 तल | 483.780 | 5776.641 | 42.05 |
| 2 | ब्लाक-बी0 | स्टिल्ट एवं 13 तल | 483.780 | 5776.641 | 42.05 |
| 3 | ब्लाक-सी0 | स्टिल्ट एवं 13 तल | 483.780 | 5776.641 | 42.05 |
| 4 | ब्लाक-डी0 | स्टिल्ट एवं 12 तल | 483.780 | 5776.641 | 39.05 |
| 5 | ब्लाक-ई0 | स्टिल्ट एवं 12 तल | 483.780 | 5776.641 | 39.05 |
| 6 | ब्लाक-एफ0 | स्टिल्ट एवं 12 तल | 483.780 | 5776.641 | 39.05 |
| 7 | ब्लाक-जी0 | स्टिल्ट एवं 12 तल | 483.780 | 5776.641 | 39.05 |
| 8 | ब्लाक-एच0 | स्टिल्ट एवं 12 तल | 483.780 | 5776.641 | 39.05 |
| 9 | ब्लाक-जे0 | स्टिल्ट एवं 12 तल | 483.780 | 5776.641 | 39.05 |
| 10 | ब्लाक-के | स्टिल्ट एवं 10 तल | 511.568 | 4721.450 | 33.05 |
| 11 | ब्लॉक-एल | स्टिल्ट एवं 10 तल | 511.568 | 4721.450 | 33.05 |
| 12 | कामर्शियल | स्टिल्ट एवं प्रथम तल | 177.349 | 355.698 | |
| 13 | मीटर रूम+गार्ड रूम | स्टिल्ट/ग्राउण्ड तल | 33.253 | 33.250 | |

**भवन का अधिभोग विवरणः-** प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी-2005 आवासीय श्रेणी ए0-4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

**ढांचागत व्यवस्थाः-**

**1- पहुँच मार्गः-** भूखण्ड के सामने मानचित्रों मे रोड की चौडाई 60 मी0 मानको के अनुसार अंकित की गई है, जो भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है।

**2-प्रवेश द्वारः-**प्रश्नगत भवन मे 02 प्रवेश द्वार जिनकी चौडाई-05.00 मी0 है।

**3-सैटबेकः-** प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत है:-

ए0- अग्रभाग-15.00 मी0।

बी0-पृष्ठ भाग-09.00 मी0।

सी0-पार्श्व भाग प्रथम-09.00 मी0।

डी0-पार्श्व भाग द्वितीय-09.00 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन के सैटबेक भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 यथासंशोधित मानको के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमे किसी प्रकार का स्थाई/ अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नही होगा तथा टावरो के चारो ओर 06 मीटर का मोटरेबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान दर्शाया गया है।

**3- निकास मार्गः–** प्रस्तावित आवासीय भवन के प्रत्येक टावर मे 02 स्टेयरकेश **प्रस्तावित है जिनकी चौडाई 1.50 एवं 1.25 मी0** एन0बी0सी–2005 के अनुसार प्रस्तावित है, तथा फलोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स **अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है साथ ही आवासीय एक** स्टेयर को फायर टावर के रूप मे निर्मित किया जायेगा।

**4- रिफ्यूज एरियाः–** भवन मे रिफयूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट मे बालकनी का प्राविधान है जो **एन0बी0सी0 मानक के अनुसार** है।

**अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाः–** प्रश्नगत भवन मे एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाऐं कराया जाना वॉच्छनीय है।

**1–भूमिगतः–** प्रश्नगत आवासीय भवन मे अग्निशमन कार्य हेतु 1,50,000 एक लाख लीटर **क्षमता का भूमिगत टैंक एन0बी0सी0** मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

**2–पम्पसः–** प्रश्नगत भवन में भूमिगत टैंक के पास कमशः मैन पम्प 1620 एल0पी0एम0 क्षमता के **01 अदद विद्युत चालित** मेन पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 180 एलपीएम क्षमता का जौकी पम्प मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने वॉच्छनीय है।

**3–टेरिस टैंक**: प्रस्तावित आवासीय भवन के समस्त टावरों की टेरिस टेरिस टैंक क्षमता कमशः 5,000 पॉच हजार ली0, टावर के0 एवं एल0 की टेरिस पर टैंक क्षमता 25,000 हजार लीटर स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

**4–टेरिस पम्प**: प्रस्तावित भवनों मे टावर के0 एवं एल0 की टेरिस पर टेरिस पम्प **क्षमता 900 एलपीएम एन0बी0सी0** के अनुसार वॉच्छनीय है।

**5–होजरीलः–** प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर मे प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिंग वाल्व, **मय होज बाक्स, होज पाइप**, एवं ब्रान्च पाइप का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

**6–वेटराईजरः–** प्रस्तावित भवन मे 150 एमएम का वेटराइजर एवं परिसर मे **रिंग लाईन तथा उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस** एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

**7–आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टमः–** प्रश्नगत भवन के वॉच्छनीय नही है।

**8–मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टमः–**समस्त टावरो मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

**9–ऑटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टमः–**समस्त टावरो मे ओटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड **फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0** मानक के अनुसार वॉच्छनीय नही है।

**10–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर)ः–** प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन मे **निर्माण के उपरान्त फायर** एक्सटिंग्यूशर आई0एस0– 2190 के अनुसार प्राविधान किया जाना है जो मानक के अनुरूप है।

**11–स्मोक एक्स्ट्रेंक्शनः–** प्रश्नगत भवन स्मोक एक्स्ट्रेंक्शन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय नही है।

**12–एग्जिट साईनेजः–** सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे एग्जिट साईनेज **एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय** है।

**13–पी0ए0 सिस्टमः–** सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को **वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति** के श्रोत से संयोजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टॉफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा भवन मे फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का **अनुरक्षण** व सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानको के अनुसार वॉच्छनीय होगी यदि किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

अतः उपरोक्तानुसार प्लाट न0–जी0एच0–05ए0 एवं जी0एच0–05बी पाकेट–डी लौनी जिला गाजियाबाद मे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा समाजवादी योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित इन्द्रप्रस्थ आवासीय भवन की प्रोवीजनल अग्निशमन **अनापत्ति प्रमाण पत्र** इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 मे उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का **प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा** व्यवस्थाये मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन **अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त** किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नकः अनुमोदित मानचित्र अदद।

(सी0के0राव)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपिः1–उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ को सूचनार्थ।

2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद गाजियाबाद को **सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।**

3 -अग्निशमन अधिकारी हिण्डन को सूचनार्थ एवं **आवश्यक कार्यवाही हेतु।**

Scanned with CamScanner

# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

**I.S.O.-9001-2015 एवं I.S.O.-14001-2015 प्रमाणित संस्था**

पत्रांक : 43 /4/ई०ई०जोन–8/2020–21 दिनांक : 30.6.20

**श्री धर्मवीर सिंह,**
**सहायक अभियन्ता,**

**विषय– समाजवादी आवास योजना के अधीन इन्द्रप्रस्थ योजना के पॉकेट–डी में 192 (एस+12) बहुमंजिले भवनों का निर्माण कार्य। (पार्ट–ए)**

उपरोक्त सम्बन्ध में कृपया अवगत हो कि कोरोना महामारी के कारण सरकार द्वारा लगाये गये लॉकडाउन एवं सम्बन्धित ठेकेदार के भुगतान प्राधिकरण को लम्बित होने के कारण उपाध्यक्ष महोदया द्वारा दिनांक 27.06.2020 को उपरोक्त कार्य का पंजीकरण रेरा में कराये जाने हेतु प्रोजेक्ट की समाप्ति तिथि के रूप में दिनांक 14.08.2021 अंकित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

कृपया तदानुसार प्रोजेक्ट को रेरा में पंजीकृत कराने हेतु यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करायें।

अधिशासी अभियन्ता, जोन–8

Scanned with CamScanner